न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :–307/2018

निर्णय दिनांक :–01.03.2021

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री मूलचन्द जाति बैरवा उम्र 60 वर्ष निवासी धुवाकंला तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र स्व. श्री अर्जना जाति कीर उम्र बालिग निवासी धुवाकंला तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
2. पोखर पुत्र स्व. श्री अर्जना जाति कीर उम्र बालिग निवासी धुवाकंला तहसील दूनी टोंक (राज0)
3. सोसर पुत्री स्व. श्री अर्जना जाति कीर उम्र बालिग निवासी धुवाकंला तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
4. पानी पुत्री स्व. श्री अर्जना जाति कीर उम्र बालिग निवासी धुवाकंला तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
5. नर्बदा बेवा स्व. श्री अर्जना जाति कीर उम्र बालिग निवासी धुवाकंला तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
6. गगल्या पुत्र भंवरक्या जाति कीर उम्र बालिग निवासी धुवाकंला दूनी जिला टोंक (राज0)
7. लल्लू खांप पुत्र मिठ्या खां जाति पिनारा (मुसलमान) उम्र बालिग निवासी धुवाकंला तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
8. मुन्ना खां पुत्र मिठ्या खां जाति पिनारा (मुसलमान) उम्र बालिग निवासी धुवाकंला तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
9. बानू पुत्री मिठ्या जाति पिनारा (मुसलमान) उम्र बालिग निवासी धुवाकंला तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
10. मन्ना पुत्री मिठ्या खां जाति पिनारा (मुसलमान) उम्र बालिग निवासी धुवाकंला तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
11. तहसीलदार दूनी

–अप्रार्थी पक्ष–

उपस्थितिः–

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. एक्ट

आदेश/निर्णय

प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 654 खसरा नम्बर 620 रकबा 0.37है., कुल किता 1 कुल रकबा 0.37है. वाके तनग्राम धुवाकंला पटवार हल्का धुवाकंला तहसील दूनी टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि से पहले अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 की आराजी खाता संख्या 177 खसरा नम्बर 560 रकबा 0.18है., अप्रार्थी नं. 7 की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 574 खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08है., खसरा नम्बर 602 रकबा 0.29 है., अप्रार्थी नं. 8 ता 10 की खातेदारी की भूमि आराजी खाता संख्या 730 खसरा नम्बर 603 रकबा 0.10है. एवं अप्रार्थी नं. 11 की राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 607 रकबा 1.00 है. जो वाके तनग्राम धुवाकंला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थिया ने ग्राम धुवाकंला में स्थित मोतीसागर बांध से निकलने वाले ओवरफ्लो पानी जो खाल में गिरता है, से अपनी उक्त वर्णित भूमि को सिंचित करने हेतु अप्रार्थीगण नं. 1 ता 11 की पेरा नं. 2 में वर्णित भूमियों में से होकर भूमिगत पाईपलाईन डालकर अपनी भूमि को काफी समय से सिंचित करती चली आ रही है। परन्तु भूमिगत सिंचाई लाईन हेतु विधिवत् रूप से भूमि नहीं होने कारण प्रार्थिया को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा अप्रार्थी नं. 1 ता 6 ने प्रार्थिया द्वारा डाली गई पाईप लाईन से सिंचाई नहीं करने दे रहे है तथा लाईन को बंद कर दी है। जिससे प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि को सिंचित नहीं कर पा रही है और ना ही काश्तकारी कर पा रही है। इस कारण अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 की उक्त भूमि में से भूमिगत पाईप लाईन हेतु विधिवत् रूप से भूमिगत भूमि दिलवाना आवश्यक है। प्रार्थिया द्वारा अपनी भूमि को सिंचित करने हेतु डाली गई पाईप लाईन से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान व क्षति नहीं है तथा ना ही उनके काश्तकारी उपयोग –उपभोग किसी प्रकार की बाधा पहुंची है। प्रार्थिया निवास स्थान व प्रार्थिया की आराजीयात माननीय न्यायलय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। प्रार्थिया भूमिगत पाईप लाईन हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थिया को अपनी भूमि को सिंचित करने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से भूमिगत पाईप लाईन के लिए भूमि दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड में भूमिगत पाईप लाईन का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। तहसीलदार दूनी को मौके की वस्तुस्थिति जानने के लिए पक्षकारान व मौतबिरान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार दूनी ने मौका रिपोर्ट/जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से प्राप्त उनवानी प्रकरण सरोज बनाम चतुर्भुज प्राप्त

पर प्रकरण में भू0 अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का धुवाकला से रिपोर्ट ली गई। अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का धुंवाकला की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया मूल मय परिवार जयपुर निवासी करती है। प्रार्थिया के पति श्री मूलचन्द के मोबाईल न0 प्राप्त कर सम्पर्क किया गया तो प्रार्थिया ने रास्ते हेतु 251 (क) रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र लगाने से मना किया व मोतीसागर बांध के नाले से स्वयं के ख0न0 620 रकबा 0.37 है0 में प्रतिवादियों के ख0न0 560, 601, 602, 603, 607, में होकर सिचांई हेतु पाईप लाईन जो दो वर्ष पूर्व से आपसी रजामंदी से डली हुई है। एवं सिंचाई के काम में ली जा रही थी, उसी में प्रतिवादियों से सिचाई के मामले में विवाद होना बताया हैं प्रार्थीया ने वर्तमान में सिचाई के लिये स्वयं के खेत मे नये कूप का निमार्ण भी कर लिया है उसी से अपने खेत की सिंचाई कर रही है। प्रतिप्रक्षी चतुर्भुज एंव लल्लू खा ने भी रास्ते सम्बन्धी विवाद के लिये मना किया है व किसी प्रकार का विवाद होना व कभी भी उनके खेतो से प्रार्थिया सरोज देवी के खेत का रास्ता नहीं निकलना बताया है। प्रार्थिया के आराजी ख0न0 619, 620, रकबा 0.37 है0 पर पहुंचने के लिये ख0न0 586 गै0मु0 रास्ता (ग्रेवल सडक) बनी हुई है। उसी रास्ते से आते जाते है। अतः पटवारी हल्का एंव भू0 अभिलेख की रिपोर्ट सलंग्न कर रिर्पोट सादर प्रेषित है।

अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पर पुनः तहसीलदार दूनी से रिपोर्ट मंगवाई गई जो इस प्रकार हैः— ग्राम धुंवाकला का आराजी ख0न0 620 रकबा 0.37 है0 किस्म चाही प्रार्थिया सरोज देवी पत्नी श्री मूलचन्द बैरवा निवासी धुंवाकला के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थिया ने करीब 5 वर्ष पूर्व ख0न0 547 रकबा 4.58 है0 किस्म चारागाह जो कि मौके पर नाला है जिसमें से मोती सागर बांध का ओवरफ्लो पानी बनास नदी की ओर बहकर जाता है, में से अपनी खातेदारी आराजी ख0न0 620 रकबा 0.37 है0 सिंचाई हेतु ख0न0 560/0.18, 577/1.27, 604, 607/1.00 में से लगभग 2—3 फीट गहरी जमीन में गाड कर 4 इंची पाईप लाईन अपने ख0न0 620 तक डलवाई थी। वर्तमान में जमीन पर पाईप लाईन निशानात नहीं है किन्तु अप्रार्थीयान एंव मोतबीरान ने बताया कि इस जगह लाईन दबी हुई है। पूछताछ पर उपस्थित अप्राथीगण एंव मोतबीरान ने बताया किया 1—2 वर्ष तो पाईप लाईन द्वारा नाले से सिचांई की गई, पर वर्तमान में 2—3 वर्ष से पाईप लाईन द्वारा सिंचाई नहीं करना बताया है। अप्रार्थी लल्लू पुत्र मिठू, पोखर पुत्र अर्जना कीर ने बताया किया प्रार्थिया द्वारा हमारे खातेदारी खेतों में पाईप लाईन गाडते वक्त हमसे वादा किया था कि अन्य लोग भी इसी पाईप लाईन गाडते वक्त हमसे वादा किया था कि अन्य लोग भी इसी पाईप लाईन से सिंचाई कर लेना मैं कोई किराया नहीं लूंगी किन्तु बाद में मुकर गई इससे विवाद हो गया। वर्तमान में प्रार्थिया अपनी भूमि सिचाई उसके द्वारा ख0न0 622 में बनाये गये नये कुएं से करती है।

प्रार्थिया द्वारा गाडी गई पाईप लाईन का ख0न0 वार तकमीना निम्न प्रकार है, जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से इंगित कर दिया गया हैः—

क्र0	ख0न0	रकबा	किस्म जमीन	पाईप लाईन की लम्बाई	खातेदार का नाम
1.	560	0.18	चाही प्रथम	5 मीटर	गंगा पत्नी श्री गंगल्या 1/12, गणेश पुत्र गंगल्या 1/12, गोरधन पुत्र गंगल्या 1/12, चत्रभुज पुत्र अर्जना हि0 7/40, नर्बदा पत्नी अर्जना 1/20, पानी पुत्री अर्जना 1/20, पोखर पुत्र अर्जना 7/40, मोहन पुत्र गंगल्या 1/12, रामनिवास वूत्र गंगल्या 1/12, श्योजी पुत्र गंगल्या 1/12, सोसर पुत्री अर्जना 1/20, जाति कीर
2	604	0.31	चाही 3	8 मीटर	मुन्ना पुत्र मिठ्या पिनारा
3	606	0.39	चाही 3	0 मीटर	लल्लू पुत्र मिठ्या,मुन्ना पुत्र मिठ्या पिनारा
4	607	1.00	बारानी तृतीय	0 मीटर	सिवायचक
5	577	1.27	गै0मु0 रास्ता	0 मीटर	सिवायचक
योग				36 मीटर	

उक्त खातेदारों में से नर्बदा पत्नी अर्जना, सोसर पानी पुत्रियां अर्जन व चत्रभुज पुत्र अर्जना की मृत्यु हो चुकी है।

अतः भू0 अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी की सलंग्नः– उक्तानुसार

अधिवक्ता प्रार्थी से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ख. नं. 620 रकबा 0.37 है0 वाके तनग्राम धुंवाकला तहसील दूनी में प्रार्थीया पाईप लाइन डालने के लिए ख. नं. 560, 601, 602, 603, व 607 में से होकर भूमिगत पाईप लाईन डालना चाहती है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार पाईप लाईन अप्रार्थीगण की रजामन्दी से 2 वर्ष पूर्व से ही डली हुई है और प्रार्थीया ने अपने स्वयं के खेत में कुएं का निर्माण भी कर लिया है और वर्तमान में अपनी भूमि की सिंचाई उसके द्वारा ख. नं. 622 में बनवाये गये कुएं से करती है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीया के खसरा नम्बर 620 रकबा 0.37 है0 की सिंचाई के लिए प्रार्थीया द्वारा बनवाया गया कुंआ पर्याप्त है, पाईप लाईन डालने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थीया की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली